सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की बैठक

दिनांक 06.08.2017
समय :- अपराह्ण 2:00 बजे से
स्थान :- योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह	**3-**	प्रो॰ हेतराम कछवाह
4-	प्रो॰ रमेश प्रसाद	**5-**	प्रो॰ आशुतोष मिश्र
6-	डा॰ कमला कान्त त्रिपाठी	**7-**	डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा
8-	प्रो॰ हृदयरंजन शर्मा	**9-**	प्रो॰ नागेन्द्र नाथ पाण्डेय
10-	डा॰ सूर्यकान्त	**11-**	वित्त अधिकारी

12- कुलसचिव - सचिव

मंगलाचरण - प्रो. आशुतोष मिश्र

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2017 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के क्रम में सदस्यों ने कहा कि परिषद् की विगत बैठक में निर्णय लिया गया था कि कार्यपरिषद् के बैठक की विडियोग्राफी का सी॰डी॰ समस्त सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसकी एक कॉपी कुलसचिव कार्यालय में सुरक्षित रक्खा जाय। परन्तु अभी तक किसी भी सदस्य को उक्त सी॰डी॰ नही उपलब्ध करायी गयी है, जो आपत्तिजनक है ।

सदस्यों के उपर्युक्त आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में परिषद् को अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2017 की सी॰डी॰ तैयार हो गया है, शेष पूर्व की बैठको का जबसे परिषद् की बैठकों का विडियोग्राफी हो रही है उसकी दो-दो प्रति विश्वविद्यालय में विडियोग्राफी तैयार करने वाली फर्म द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

उपर्युक्त तथ्य से अवगत होते हुए परिषद् ने निर्देश दिया कि कार्यपरिषद् के निर्णय का अनुपालन करते हुए बैठकों की सी॰डी॰ समस्त सदस्यों को शीघ्र प्रेषित की जाय। तथा कार्यपरिषद् द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय का क्रियांवयन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए योगसाधना केन्द्र में शीघ्रताशीघ्र सी॰सी॰टी॰वी॰ लगाया जाय।

उपर्युक्त निर्देश देने के पश्चात् कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2017 के कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

कार्यक्रम संख्या-2- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2017 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना।

क्रियांवयन रिर्पोट पर विचार-विमर्श करते हुए कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि-

1- क्रियांवयन रिर्पोट पर विचार के क्रम में सदस्यों ने कहा कि अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र की जायें। विगत कार्यपरिषद् में लिए गये निर्णय कि एसोशिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के रिक्त पदों का पुर्नविज्ञापन किया जाय ''के क्रियांवयन के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है?

   सदस्यों की उपर्युक्त पृच्छा पर कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि अध्यापकों के रिक्त पद जिनका विज्ञापन किया गया है उसके सापेक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में मा॰ कुलाधिपति महोदय से कुछ बिन्दुओं पर निर्देश मांगा गया है, और निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ की जाएगी।

उपर्युक्त के क्रम में कार्यपरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि एसोशिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व निर्गत विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में जिन पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ है, उन पदों का पुनर्विज्ञापन विगत कार्यपरिषद् में लिए गये निर्णय के अनुसार वेब-साइट पर किया जाय।

2- कार्यपरिषद् के समक्ष परिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2017 में दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15.02.2017 की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कौशल केन्द्र में अस्थायी रूप से लगाये गये विश्वविद्यालय कर्मियों, जब से केन्द्र के साथ सम्बद्ध किये गये है, को दिये जाने वाले मानदेय के संदर्भ में कम्यूनिटी कालेज/ बी.वोक. की गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित मानदेय के भुगतान के संदर्भ में विचार के अंतर्गत लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रो. शीतला प्रसाद उपाध्याय, निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र द्वारा प्रेषित अधोलिखित पत्र पत्रांक के.236/2017, दिनांक 03.08.2017 प्रस्तुत किया गया।

VC 1552/2017
5.8.17

शीतला प्रसाद उपाध्याय
निदेशक
दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र

दूरभाष : 09450012561
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी-221002

–236/2017 | दिनांक 03.08.2017

कुलसचिव
दिनांक 06.08.17 को कार्यपरिषद् की बैठक विचारार्थ एवं निर्णयार्थ यह विषय प्रस्तुत
06.08.17
VC

सेवा में,

माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष, कार्यपरिषद
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

विषय-दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र में विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी रूप से लगाये गये कर्मियों के मानदेय के सम्बन्ध में सलाहकार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र की सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15.02.2017 में कौशल केन्द्र में अस्थायी रूप से लगाये गये विश्वविद्यालय के कर्मियों, जब से वे केन्द्र के साथ सम्बद्ध किये गये हैं, को कार्यालयीय समय के अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिये दिये जाने वाले मानदेय के संदर्भ में कम्यूनिटी कालेज/ बी.वोक. की गाइडलाइन के अनुसार मानदेय निर्धारित कर केन्द्र के निदेशक को कार्यपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्देश दिया गया...... (संलग्नक-1)

तदनुसार निदेशक द्वारा मानदेय का प्रारूप बनाकर कार्यपरिषद की स्वीकृति हेतु पत्रांक K 167/2017 दिनांक 02.03.2017 को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए निदेशक द्वारा सलाहकार समिति के निर्णयों की छाया प्रति भी संलग्न कर दी गई थी। .... (संलग्नक 2)

यह प्रकरण कार्यपरिषद में सलाहकार समिति के निर्देशों के अनुपालन में उक्त मानदेय में होने वाले व्यय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मात्र के लिये प्रेषित था किन्तु कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 23.04.2017 के कार्यक्रम सं.11 के अन्तर्गत कौशल केन्द्र के गाइडलाइन की उपेक्षा करते हुए दो निर्देश दिये गये

1 कौशल केन्द्र के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम सम्बन्धी विवरण पहले उचित माध्यम यथा विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाय तत्पश्चात उसकी संस्तुति को कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

2 मानदेय के भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव पहले उचित माध्यम यथा वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाय। तत्पश्चात उसकी संस्तुति को कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्देशों के सन्दर्भ में निदेशक द्वारा कौशल केन्द्र के पत्रांक K 204/2017 दिनांक 07.05.2017 के द्वारा आपसे तात्कालिक प्रभाव से कौशल केन्द्र के हित में इन दोनों निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए उसे आगामी कार्यपरिषद द्वारा संशोधित कराने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था। निदेशक के अनुरोध को स्वीकार कर उक्त निर्देश के क्रियान्वयन में [illegible] सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए आगामी कार्यपरिषद में संशोधनार्थ इस विषय को पुनः उपस्थापित करने का आपने आदेश प्रदान किया और दिनांक 25.06.2017 को आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में प्रकरण से सम्बन्धित वस्तुस्थिति से परिषद को अवगत कराने हेतु निदेशक को भी अनुमति किया। यद्यपि निदेशक द्वारा आप समेत सभी सदस्यों को पूर्व प्रेषित पत्रांक K-218/2017 दिनांक 21.06.2017 के माध्यम से इस प्रकरण से सम्बद्ध समस्त आवश्यक सूचनाओं को कार्यपरिषद के समक्ष रखने के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था तथापि परिषद की बैठक में मौखिक रूप से सदस्यों के जिज्ञासाओं का समाधान भी प्रस्तुत किया गया। ...... (संलग्नक 3)

इतना प्रयास करने पर भी इस प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय कार्यपरिषद द्वारा नहीं लिया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर यथोचित निर्णय लेने की कृपा करें।

03.08.2017
(प्रो.शीतला प्रसाद उपाध्याय)
निदेशक

उक्त पत्र के संदर्भ में परिषद् को अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 25.06.2017 में सम्पूर्ण प्रकरण पर गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श के क्रम में कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि कौशल केन्द्र के संचालन में यदि कोई बाधा है तो उसे कुलपति, निदेशक, समन्वयक यू.जी.सी. वित्ताधिकारी एवं कुलसचिव मिलकर समाधान करें। परन्तु प्रकरण पर कोई अंतिम निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा नही लिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से अवगत होते हुए सदस्यों ने गहनातापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने प्रकरण के समाधान हेतु निर्णय लेने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

3- क्रियांवयन रिर्पोट पर विचार के क्रम में परिषद् ने सदस्यों ने पृच्छा की कि कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांङ्क 25.06.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार "श्री इन्दुशेखर मिश्र को विश्वविद्यालय के अधिवक्ता पैनल से

हटाने सम्बन्धी आदेश निर्गत हुआ कि नही? के परिप्रेक्ष्य में कुलसचिव ने कार्यपरिषद् से अनुरोध किया कि परिषद् उक्त निर्णय पर पुर्नविचार करने का कष्ट करें, क्योंकि विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण उन्हें स्वयं ही सभी वादों में शपथ पत्र तैयार करा कर प्रस्तुत करने के लिए बार-बार इलाहाबाद जाना होता है, ऐसी स्थिति में पैनल में सम्मिलित अधिवक्ता श्री इन्दुशेखर मिश्र उनकी सहायता करते है। कुलसचिव की उपर्युक्त मांग पर सदस्यों ने कहा कि कुलसचिव अपनी समस्या कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। कुलपति महोदय उस पर निर्णय लेगें। तत्पश्चात् उक्त पर विचार- विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि-

''सम्बन्धित प्रकरण पर विगत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2017 में लिये गये निर्णय का तत्काल क्रियांवयन किया जाय। इस निर्णय से श्री इन्दुशेखर मिश्र को अवगत कराया जाय। नये अधिवक्ता को नामित करने के लिए कार्यपरिषद् ने माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।''

4- कार्यपरिषद् ने जनसूचना अधिनियम के अंतर्गत श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की छाया प्रति प्राप्त कराने के संदर्भ में निर्णय लिया कि-

श्री सोमेश तिवारी को यह अवगत कराया जाय कि वे सम्बन्धित पाण्डुलिपि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली की वेबसाइट पर देख ले। साथ ही श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की फोटो प्रति प्राप्त करने के संदर्भ में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2005 के निर्णय के साथ पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

भविष्य में पाण्डुलिपि की फोटो प्रति देने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कार्यक्रम सं.-3- कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत विश्वविद्यालयीय अध्यापकों के पदोन्नति हेतु आहूत चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार

(A) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में पूर्व मीमांसा विभाग के एसोशिएयट प्रोफेसर डा॰कमलाकान्त त्रिपाठी की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत एसोशिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन-समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

चयन समिति की बैठक

दिनांक – 14.07.2017
समय - 12.00 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में पूर्व मीमांसा विषय के एसोसिएट प्रोफेसर **डॉ० कमलाकान्त त्रिपाठी** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 14.07.2017 को अपराह्न 12.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो० यदुनाथ प्रसाद दुबे, - कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो० देवेन्द्र पाण्डेय - विशेषज्ञ
3. प्रो० आञ्जनेय शास्त्री - विशेषज्ञ
4. प्रो० प्रभातरंजन महापात्र - विशेषज्ञ-अनुपस्थित } **माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
5. प्रो० हरिप्रसाद अधिकारी - संकायाध्यक्ष
6. प्रो० रमेश प्रसाद - अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि
7. प्रो० रेखा - अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि
8. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव - सचिव

समिति ने **डॉ० कमलाकान्त त्रिपाठी** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र तथा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की (आई०क्यू०ए०सी०) आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

डॉ० कमलाकान्त त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर – पूर्व मीमांसा को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर पद पर नियमानुसार अर्हता तिथि से प्रोन्नति हेतु संस्तुति की जाती है। इनके वैदुष्य से चयन समिति पूर्णरूपेण संतुष्ट है।

(प्रो० यदुनाथ प्रसाद दुबे) कुलपति, अध्यक्ष	(प्रो० देवेन्द्र पाण्डेय) विशेषज्ञ	(प्रो० आञ्जनेय शास्त्री) विशेषज्ञ
(प्रो० प्रभातरंजन महापात्र) विशेषज्ञ-अनुपस्थित	(प्रो० हरिप्रसाद अधिकारी) संकायाध्यक्ष	(डॉ० रमेश प्रसाद) अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि
(प्रो० रेखा) अनु० जाति/जनजाति के प्रतिनिधि		(प्रभाष द्विवेदी) कुलसचिव, सचिव

चयन समिति की संस्तुति पर विचार के क्रम में परिषद् के सदस्य डा॰ कमलाकान्त त्रिपाठी बैठक से उठकर बाहर चले गये तत् पश्चात् विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से डा॰ कमालाकान्त त्रिपाठी को प्रोफेसर (आचार्य) पद पर प्रोन्नति नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की।

(B) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर (चयन वेतनमान) डा॰ दिनेश कुमार गर्ग की कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर (चयन वेतनमान) से एसोशिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

चयन समिति की बैठक

दिनांक – 14.07.2017
समय - 02.00 बजे से
स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विषय के असिस्टेण्ट प्रोफेसर **डॉ० दिनेश कुमार गर्ग** की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत असिस्टेण्ट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आज दिनांक 14.07.2017 को मध्यान्ह 02.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। चयन समिति की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो० यदुनाथ प्रसाद दुबे,	–	कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो० विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र	–	विशेषज्ञ	}	**माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित**
3. प्रो० वाचस्पति त्रिपाठी	–	विशेषज्ञ		
4. प्रो० रामकृष्ण परमहंस	–	विशेषज्ञ		
5. प्रो० हेतराम कछवाह	–	विभागाध्यक्ष		
6. प्रो० रमेश प्रसाद	–	अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि		
7. प्रो० रेखा	–	अनुसूचित जाति/जनजाति के नामित प्रतिनिधि		
8. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव	–	सचिव		

समिति ने **डॉ० दिनेश कुमार गर्ग** के स्वमूल्यांकन प्रपत्र तथा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की (आई०क्यू०ए०सी०) आख्या का अवलोकन कर साक्षात्कार किया। सभी तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की जाती है। –

डॉ० दिनेश कुमार गर्ग, असिस्टेण्ट प्रोफेसर - प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत एसोशिएट प्रोफेसर पद पर निम्नानुसार अर्हता तिथि से प्रोन्नति हेतु संस्तुति की जाती है।

(प्रो० यदुनाथ प्रसाद दुबे) 14.7.17
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो० विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र) 14.7.17
विशेषज्ञ

(प्रो० वाचस्पति त्रिपाठी) 14.7.17
विशेषज्ञ

(प्रो० रामकृष्ण परमहंस) 14.7.17
विशेषज्ञ

(प्रो० हेतराम कछवाह)
विभागाध्यक्ष

(प्रो० रमेश प्रसाद) 14.7.17
अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि

(प्रो० रेखा) 14.7.17
अनु० जाति/जनजाति के प्रतिनिधि

(प्रभाष द्विवेदी) 14/7/17
कुलसचिव, सचिव

विचार विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से डा॰ दिनेश कुमार गर्ग को एसोशिएट प्रोफेसर (सह आचार्य) पद पर प्रोन्नति नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की।

(C) कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिन्दी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन वेतनमान अनुमन्य करने के लिए आहूत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 14.07.2017 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

''स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक''

दिनांक – 14.07.2017
समय - 03.00 बजे से
स्थान - कुलपति आवासीय कार्यालय

विश्वविद्यालय में आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान के अन्तर्गत हिन्दी विषय के (असिस्टेण्ट प्रोफेसर) **डॉ० विद्या कुमारी चन्द्रा** को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत असिस्टेण्ट प्रोफेसर के चयन वेतनमान (Stage-II) से (Stage-III) ए0जी0पी0 7000 से ए0जी0पी0 8000 (चयन वेतनमान) अनुमन्य करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिनांक 14.07.2017 को अपरान्ह 03.00 बजे से कुलपति आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की उक्त बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए –

1. प्रो० यदुनाथ प्रसाद दुबे,	–	कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो० शिवकुमार मिश्र	–	विशेषज्ञ		
3. प्रो० विनीता सिंह	–	विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
4. प्रो० रमेश प्रसाद	–	अन्य पिछड़ा वर्ग के नामित प्रतिनिधि		
5. प्रो० रेखा	–	अनुसूचित जाति के नामित प्रतिनिधि		
6. श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव	–	सचिव		

स्क्रीनिंग कमेटी ने **डॉ० विद्या कुमारी चन्द्रा** द्वारा प्रस्तुत स्वमूल्यांकन प्रपत्र एवं ए.पी.आई. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दिये गये स्कोर के अवलोकन के आधार पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अधीन डॉ० विद्या कुमारी चन्द्रा को असिस्टेण्ट प्रोफेसर का चयन वेतनमान (Stage-III) अनुमन्य करने हेतु निम्नलिखित संस्तुति की जाती है।

डॉ० विद्या कुमारी चन्द्रा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (स्टेज - II) AGP ₹ 7000/- प्राध्यापक हिन्दी को कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार अर्हता तिथि से असिस्टेण्ट प्रोफेसर (स्टेज - III) AGP ₹ 8000/- चयन वेतनमान हेतु पद पर प्रोन्नति हेतु संस्तुति की जाती है।

(प्रो० यदुनाथ प्रसाद दुबे) 14.07.17
कुलपति, अध्यक्ष

(प्रो० शिवकुमार मिश्र) 14/07/2017
विशेषज्ञ

(प्रो० विनीता सिंह) 14/7/17
विभागाध्यक्ष-सदस्य

(प्रो० रमेश प्रसाद) 14.7.17
सदस्य-पिछड़ा वर्ग

(प्रो० रेखा) 14.7.17
सदस्य-अनुसूचित जाति

(प्रभाष द्विवेदी) 14/7/17
कुलसचिव, सचिव

स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर विचार के क्रम में परिषद् के सदस्य डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा बैठक से उठकर बाहर चली गयी तत् पश्चात् कार्यपरिषद् ने स्क्रीनिंग कमेटी की उपर्युक्त संस्तुति पर विचार करते हुए सर्वसम्मत्ति से डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा को असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन वेतनमान (StageIII) ए॰जी॰पी॰-8000 नियमानुसार निर्धारित अर्हता तिथि से अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-4- वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.06.2017 की संस्तुतियों पर विचार

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.06.2017 की अधोलिखित संस्तुति एवं पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2016-17 एवं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 28.06.2017
समय : मध्याह्न 12.00 बजे
स्थान : कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति

(1)	प्रो0 यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति	–	अध्यक्ष
(2)	डा॰ के॰ के॰ तिवारी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी।	–	सदस्य
(3)	श्री ए॰के॰ द्विवेदी अपर आयुक्त वित्त, वाराणसी मण्डल, प्रतिनिधि विशेष सचिव, वित्त विभाग उ॰प्र॰ शासन, लखनऊ। या प्रतिनिधि	–	सदस्य
(4)	प्रो॰ सुभाषचन्द्र तिवारी पूर्व आचार्य, सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी	–	सदस्य
(5)	प्रो॰ पी॰एन॰ सिंह, वित्त अधिकारी	–	सदस्य–सचिव
(6)	श्री प्रभाष द्विवेदी, कुलसचिव	–	सदस्य
(7)	श्री राजनाथ, परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य

कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संख्या 1– वित्त समिति की विगत बैठक दि॰ 06.04.2017 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि तथा कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रस्तुत प्रस्ताव– वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 06.04.2017 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। विगत कार्यविवरण की सम्पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव।

निर्णय वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 06.04.2017 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि की गई।

कार्यक्रम संख्या 2– वास्तविक आय–व्यय वर्ष 2015–16 पुनरीक्षित आय–व्यय वर्ष 2016–17 एवं आय–व्यय अनुमान वर्ष 2017–18 पारित किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव –<u>वेतन मद :</u>

वर्ष 2015–16 में शासन से रू॰ 10,52,83,000/– का अनुदान प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षाशुल्क आदि से रू॰ 9,91,43,754/– प्राप्त हुए तथा स्ववित्त पोषित आदि निजी स्रोतो से रू॰ 1,05,10,956/– की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुल रू॰ 21,49,37,710/– की प्राप्ति हुई। इस प्राप्ति में से परीक्षा शुल्क के विकास मद में प्राप्त राशि रू॰ 3,82,81,780/– का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय के विकास मद में किया गया। साथ ही क्रीड़ा विकास मद में प्राप्त राशि रू॰ 6,63,030/– का स्थानान्तरण क्रीड़ा विकास मद में किया गया । इस प्रकार वस्तुतः इस वर्ष के लिए रू॰ 16,54,81,944/– उपलब्ध रहें। इस प्राप्ति के

सापेक्ष वर्ष 2015–16 में कुल व्यय रू• 29,90,30,193/– किया गया। अवशेष राशि रू• 13,35,48,249/– की प्रतिपूर्ति हेतु विश्वविद्यालय के विकास मद से रू• 16,50,00,000/– सामान्य मद में स्थानान्तरित किये गये जिसमें से मार्च 2016 में केवल रू• 5,25,01,000/– ही वापस किये जा सके।

वर्ष 2016–17 के लिए शासन से रू• 10,52,83,000/– का अनुदान प्राप्त होने, विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा शुल्क आदि से रू• 9,79,17,599/– तथा निजी स्रोतो से रू• 81,51,073/– कुल प्राप्ति रू• 21,13,51,672/– पुनरीक्षित किया गया है। उक्त प्राप्ति के सापेक्ष कुल व्यय रू• 32,59,02,197/– पुनरीक्षित किया गया है। जिसमें शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मियो के वेतन पर व्यय रू• 24,04,90716/– शामिल है। प्राप्ति के सापेक्ष अधिक व्यय रू• 11,45,50,525/– की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के विकास मद से ऋण स्वरूप किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2017–18 के लिए शासन से रू• 10,52,83,000/– का नियमित अनुदान प्राप्त होना है, विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा शुल्क आदि से रू• 11,92,92,000/– प्राप्त होने का अनुमान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम आदि निजी स्रोतो से रू• 1,88,80,000/– प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 2017–18 के लिए कुल रू• 24,34,55,000/– प्राप्त होने का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2017–18 में कुल व्यय रू• 43,24,11,548/– का अनुमान किया गया है। विश्वविद्यालय में शिक्षको के लिए कुल 112 पद स्वीकृत है। जिसमें 71 पद रिक्त है तथा जून 17 के पश्चात 3 पद और रिक्त हो जायेंगे। पुस्तकालय संवर्ग अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियो के कुल स्वीकृति 483 पदो में से 135 पद रिक्त है। रिक्त पदो के पश्चात भी वेतनादि पर रू• 34,51,16,048/– के व्यय का अनुमान किया गया है। शिक्षणेत्तर पदो के लिए सातवे वेतन आयोग के संस्तुतियो के अनुरूप व्यय का अनुमान किया गया है। **शिक्षको के रिक्त पदो को भरने के लिए विज्ञापन किया जा चुका है नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ होनी है। इस विश्वविद्यालय की सीमित आय को दृष्टिगत रखते हुए वेतनादि पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति शासन स्तर से किये जाने की अपेक्षा है।**

<u>सामान्य मद</u> –

वर्ष 2015–16 में यात्रा व्यय पर रू• 5,71,266/– वास्तविक व्यय हुआ है। वर्ष 2016–17 के लिए रू• 6,49,416/– व्यय पुनरीक्षित किया गया है। वर्ष 2017–18 के रू• 12,50,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2015–16 में दूरभाष, पेट्रोल, डीजल, दीक्षांत आदि मदो पर रू• 1,40,13,667 का वास्तविक व्यय हुआ है। वर्ष 2016–17 के लिए रू• 1,99,20,377/– व्यय (रिक्त पदो के विज्ञापन का व्यय सम्मिलित करते हुए) पुनरीक्षित किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए रू• 1,84,59,500/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

निर्माण विभाग द्वारा 28 ऐसे शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आवासो की सूची प्रस्तुत की गयी है जिसका कार्य सम्पन्न हो चुका है भुगतान के लिए बिल लम्बित है। इससे सम्बन्धित राशि रू• 7,01,219/– शामिल करते हुए वार्षिक अनुरक्षण के लिए पूर्व प्राविधानित रू• 30,00,000/– के स्थान पर रू• 37,02,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2016–17 में छात्रावासो हेतु 5 नग वाटर प्युरिफायर की आपूर्ति आई मिनमिट टेक इण्डिया, वाराणसी के द्वारा आपूर्ति की गयी जिसकी देयता रू• 7,27,075/– है। इसी प्रकार क्रीड़ा विभाग के लिए वाटर कूलर क्रय हेतु प्रस्तावित है। अतः वाटर कूलर, वातानूकूलन क्रय मरम्मत मद में वर्ष 2017–18 के लिए मूल अनुमान रू• 3,00,000/– के स्थान पर रू• 11,00,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है। इस पर समिति की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

<u>परीक्षा मद</u> –

वर्ष 2015–16 परीक्षा संचालन में कुल रू• 2,32,36,919/– का वास्तविक व्यय हुआ है, जिसमे उत्तर पुस्तिका निर्माण हेतु कागज क्रय पर रू• 21,68,417/– परीक्षा केन्द्र एवं सामानो पर रू• 85,83,488/– परीक्षको के पारिश्रमिक पर रू• 89,34,473/– का व्यय शामिल है। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रो का मुद्रण विश्वविद्यालय के प्रेस के माध्यम से कराया गया जिसमें रू• 14,24,357/– व्यय हुआ।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए परीक्षा संचालन मद में रू• 2,19,86,082/– का व्यय पुनरीक्षित किया गया है। उत्तर पुस्तिका निर्माण हेतु कागज क्रय पर रू• 22,96,622/– एवं गोपनीय मद्रण में रू• 8,53,765/– का व्यय पुनरीक्षित किया गया है। प्रश्नपत्रो का मुद्रण विश्वविद्यालय प्रेस से कराया गया है।

वर्ष 2017–18 के लिए परीक्षा संचालन में रू• 3,32,86,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है। गोपनीय मुद्रण में 2010 के गोपनीय प्रश्न पत्रो के मुद्रण की देयता को दृष्टिगत रखते हुए रू• 40,00,000/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2015–16 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयो के छात्रो की अनुमानित छात्र संख्या के आधार पर प्रतिफार्म मे से रू• 2/– के अनुसार रू• 1,75,000/– का व्यय छात्र कल्याण कोष के लिए प्राविधानित किया गया था। वर्ष 2015–16 में छात्र संख्या 76,000 के

अनुसार रू• 1,52,000/– की उपलब्धता के बाद भी छात्रसंघ के पदाधिकारियों की मांग पर कुलपति जी की स्वीकृति के पश्चात रू• 2,34,280/– का भुगतान किया गया है। इसके अनुमोदन का प्रस्ताव है।

वर्ष 2016–17 के लिए छात्र कल्याण कोष में रू• 4,95,884/– का व्यय पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। इस वर्ष भी छात्र संख्या की अपेक्षा से अधिक छात्रसंघ की मांग पर कुलपति जी द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2017–18 के लिए छात्र संख्या के आधार पर रू• 1,60,000/– के व्यय का अनुमान है।

वर्ष 2015–16 में प्रति परीक्षा फार्म मे से रू• 15/– की दर से व्यय करने हेतु रू• 19,27,500/– का अनुमान किया गया था। जिसमें से परीक्षा कार्यो से जुड़े हुए कर्मचारियो को रू• 13,44,000/– का भुगतान किया गया। जिसमे अतिरिक्त पारिश्रमिक आदि शामिल है। इस व्यय के अनुमोदन का प्रस्ताव है। वर्ष 2016–17 के लिए रू• 57,395/– व्यय पुनरीक्षित किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए रू• 12,00,000/– के व्यय का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल आय रू• 21,49,37,710/– के सापेक्ष रू• 29,90,30,193/– व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल आय रू• 26,48,70,000/– के सापेक्ष रू• 39,79,45,852/– व्यय पुनरीक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल प्राप्ति रू• 24,34,55,000/– के सापेक्ष रू• 43,24,11,548/– के व्यय का अनुमान किया गया है।

उपरोक्त प्रस्ताव पारित किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय– प्रस्तुत आय–व्ययक पर विचार किया गया। प्रति वर्ष घाटे का बजट प्रस्तुत किये जाने एवं ऋण स्वरूप ली गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति न किये जाने पर चिन्ता व्यक्त की गयी। निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय के विभिन्न स्रोतो से आय बढ़ाने पर विचार हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाय और समिति के निर्णय के पश्चात यथा अपेक्षित शासन से मांग कर लिया जाय।

वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित व्यय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर रू• 2,00,000/– पुनरीक्षित किया गया है। यदि वास्तव में व्यय नही हुआ है तो इसे संशोधित किया जाय।

व्यय की मदो– प्रयोगशाला के व्यय मद में व्यय शून्य दिखाया गया है। जबकि वास्तव में प्रयोगशाला पर प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है। वास्तविक व्यय की राशि को दर्शाने के निर्देश दिये गये।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से होने वाली आय में से जो धनराशि वेतन के बाद बचती है उसमे से उस स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की साज–सज्जा एवं अनुरक्षण पर व्यय किये जाने की संस्तुति की गई।

वर्ष 2017–2018 के गोपनीय मुद्रण में 2010 की वास्तविक देयता का उल्लेख करने के निर्देश दिये गये ।

छात्र कल्याण कोष मद में प्राविधानित राशि से अधिक व्यय दर्शाया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राविधानित राशि से अधिक व्यय न किये जाने की संस्तुति की गयी।

क्रीड़ा विभाग से संबंधित व्यय क्रीड़ा विभागीय मद से किये जाने की संस्तुति की गयी।

परीक्षको के पारिश्रमिक का चेक उनके दिये हुए पते पर डाक से प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गई।

वित्त समिति को अवगत कराया गया है कि इस वर्ष उत्तर पुस्तिका निर्माण के लिये कागज का क्रय मिल के माध्यम से सीधे क्रय किये जाने के कारण रू• 14,01,405/– व्यय हुआ जो विगत की तुलना में 39 प्रतिशत कम है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक होने पर उत्तर पुस्तिका निर्माण हेतु कागज का क्रय सीधे मिल से करने की संस्तुति की गयी।

उपरोक्त संशोधनो के साथ प्रस्तुत आय–व्ययक पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 3– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

कार्यक्रम संख्या 3(क)–निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.4.17 के निर्णय के अनुसार वार्षिक अनुरक्षण मद में धनराशि प्राविधानित किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव – विगत वित्तीय वर्ष में कार्य स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश निर्गत करने के फलस्वरूप सम्पन्न हो रहे कार्यो जिसमें 22 आवासियों के आवास की मरम्मत/रंगाई पुताई का कार्य, परिसर के अन्य स्थानो कुल 37 स्थानो के लिए रू• 28,91,169/– का आगणन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त निर्माण विभाग में 56 आवासियों के आवास/स्थानो का आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मरम्मत, रंगाई पुताई एवं शौचालय के दरवाजा आदि को बदलने हेतु लगभग रू• 60,00,000/– का आगणन प्रस्तुत हुआ है।

विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययन–अध्यापन हेतु, कार्यालय, छात्रावास, शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियो का आवास, पुस्तकालय आदि भवन है जिनका विवरण निम्नवत् है – शिक्षा शास्त्र विभाग, पाणिनी भवन, सामुदायिक भवन, बौद्ध कक्ष, दलाई लामा कक्ष, पुराण कक्ष, वेद भवन, केन्द्रीय कार्यालय, कुलपति कार्यालय, परीक्षा भवन, नवीन परीक्षा भवन, पुस्तकालय, हस्तलिखित पुस्तकालय, नवीन पुस्तकालय, सम्पत्ति कार्यालय, योग साधना केन्द्र, संग्रहालय, प्रेस विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास, नवीन छात्रावास, गंगा नाथ झा छात्रावास, शोध छात्रावास, कुलपति आवास, प्राचीन गेस्ट हाउस, अधिकारी आवास (7 आवास), प्राचीन अध्यापक आवास(26 आवास), न्यू प्रोफेसर कालोनी (20+6=26 आवास), अनुसंधान कालोनी/ तृतीय श्रेणी आवास (55 आवास), चतुर्थ श्रेणी आवास, वाग्देवी मंदिर, पॉच प्राचीन मन्दिर, स्वास्थ्य केन्द्र, अग्निहोत्र भवन आदि भवनो के लिए वार्षिक अनुरक्षण मद में रू• 30,00,000/– प्राविधानित है। निर्माण विभाग द्वारा उक्त धनराशि के स्थान पर रू• 1,00,00,000/– प्रतिवर्ष प्राविधानिक करने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त पर विचार।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार के अनन्तर समिति ने निर्देश दिया कि वित्त विभाग भुगतान के साथ–साथ संस्तुति किये जाने वाले कार्यो का भी विवरण साथ साथ रखे तथा प्राविधानित बजट से अतिरिक्त कि संस्तुति न की जाये। बजट में वृद्धि का प्रस्ताव आगमी वित्त समिति में प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी।

कार्यक्रम संख्या 3(ख)–कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत आवृत प्रतिष्ठान के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव – सहायक भविष्य निधि आयुक्त (अनुपालन वृत्त–1) वाराणसी के पत्र संख्या यू•पी•/3 क्षे•का•/वारा•/अनुपालन/1566436/135080 दिनांक 09.05.17 के द्वारा सूचित किया गया है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वद्यिालय, वाराणसी प्रतिष्ठान के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत कोड सं• यू•पी•वारा•/1566436 के साथ दिनांक 1.9.16 से आवृत्त है। पत्र के द्वारा नियोक्ता को सलाह दी गयी है कि आवृत्त होने के कारण शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा नियोक्ता के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता के हकदार हो जाते है। नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी को चाहे किसी कोटि (जैसे रेग्युलर, ऐड हाक, टेम्पोरैरी, दैनिक वेतनभोगी इत्यादि) में रखे या कुछ भी नाम दे इससे उस कर्मचारी के हक व पात्रता मे कोई फर्क नही पड़ता और वो कार्य ग्रहण करने की तिथि से ही भविष्य निधि, पेंशन, बीमा के लाभो का हकदार हो जाता है इसके अर्न्तगत कर्मचारी का हिस्सा वेतन का 12 प्रतिशत तथा नियोक्ता का हिस्सा 13.36 प्रतिशत होगा जो वेतन पाने के अगले माह की 15 वी तिथि तक किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में कर्मचारी भविष्य निधि खाते मे जमा किया जाना है। इस कोटि में सभी प्रकार के कर्मचारी या अंशकालिक अध्यापक जो संविदा में कार्यरत है, आयेंगे। यदि ऐजेंसी के माध्यम से भुगतान होता है तो एजेंसी के माध्यम से धनराशि जमा होगी। यदि विश्वविद्यालय के माध्यम से भुगतान होता है तो विश्वविद्यालय को पंजीकरण करवाकर जमा कराना होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार तथा सहमति की स्थिति में नियोक्ता का हिस्सा 13.36 प्रतिशत जमा किये जाने पर विचार।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 3(ग)–स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमो के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव – शासन के पत्र संख्या 602/70–4–2015–1212/2014 दिनांक 15 जुलाई 15 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमो से होने वाली कुल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि (मानदेय) मद में अनुमन्य होगा तथा अवशेष आय की धनराशि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यय, भवन, पुस्तकालय आदि के रखरखाव पर व्यय के उपयोग में लाया जायेगा। राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमो में संविदा पर नियुक्त शिक्षको की संविदा अवधि 5 वर्ष होगी। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम मे संविदा पर कार्यरत शिक्षको हेतु सी•पी•एफ• व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के निर्देश है। शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 3(घ)–वर्ष 2013–14 की परीक्षा में अति गोपनीय कक्ष के छूटे हुए 4 कर्मचारियो को पारिश्रमिक दिये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव – वर्ष 2013–14 की परीक्षा में गोपनीय प्रश्न पत्रो के मुद्रण का कार्य प्रेस विभाग द्वारा किया गया था। तत्कालीन समय में परीक्षा विभाग के कर्मचारियों एवं प्रेस कर्मियो को अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था किन्तु अतिगोपनीय विभाग के पॉच कर्मचारी 1. श्री अभिनेन्द्र प्रताप सिंह 2. श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी 3. श्रीमती अराधना पाण्डेय 4. श्री सरोज कुमार मिश्र 5. श्री राजकुमार यादव तैनात थे तथा श्री विष्णु राम उपकुलसचिव परीक्षा के साथ कार्यरत थे जिनका नाम छूट गया था। छूटे हुए चार कर्मचारी 1. श्री अभिनेन्द्र प्रताप सिंह(अब सेवानिवृत्त) रू• 10,000/– 2. श्री विष्णु राम , रू• 10,000/– 3. श्री सरोज कुमार मिश्र, रू• 5,000/– 4. श्री राजकुमार यादव, रू• 5,000/– कुल रू• 30,000/– अतिरिक्त पारिश्रमिक के भुगतान का प्रस्ताव परीक्षानुभाग द्वारा किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 3(ड•)–दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के प्रवेशार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क की सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव – प्रो• शीतला प्रसाद उपाध्याय, निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र ने प्रवेशार्थियो से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण वित्त समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत किया है जो निम्नवत् है –

1.	प्रवेशार्थियो का प्रवेश– आवेदन शुल्क	रू• 500/– प्रति सेमेस्टर
2.	बी•वोक• कार्यक्रम का शिक्षण शुल्क	रू• 3000/– प्रति सेमेस्टर
3.	एम• वोक• कार्यक्रम का शिक्षण शुल्क	रू• 5000/– प्रति सेमेस्टर
4.	परीक्षा शुल्क	रू• 1000/– प्रति सेमेस्टर

यह भी सूचित किया गया है कि आवेदन पत्र, शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क से प्राप्त धनराशि का 40 प्रतिशत विश्वविद्यालय के विकास मद में स्थानन्तरित किया जायेगा।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार के अन्तर्गत समिति ने पुनः समेकित प्रस्ताव (100 प्रतिशत व्यय का विवरण) प्राप्त करने की संस्तुति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या 3(च)–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयीय केन्द्रीयित सेवा के अधीन विश्वविद्यालयो से सेवानिवृत्त अधिकारी के अवकाश नकदीकरण के भुगतान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विचार

निर्णय – उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावली 1975 के सुसंगत प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

कुलपति महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(पी• एन• सिंह)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि-

1- उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (केंद्रीयित) सेवा नियमावली 1975 के सुसंगत प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में यदि श्री सुभाष वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया गया है तो, उस विश्वविद्यालय से इसकी सूचना प्राप्त कर विश्वविद्यालय में भी तैनात केन्द्रीयत सेवा के उन अधिकारियों को जो इस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए है, उन्हें भी अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाय।

2- बजट के टंकण में जो त्रुटियां हुयी है, उसे संशोधित किया जाय।

उपर्युक्त निर्णय के पश्चात् कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.06.2017 में की गयी संस्तुतियों एवं पुनरीक्षित आय व्ययक वर्ष 2016-17 एवं आय-व्यय अनुमान वर्ष 2017-18 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-5- सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 08.12.2016 एवं 13.05.2017 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 08.12.2016 एवं 13.05.2017 की अधोलिखित संस्तुतियों को विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसा

सम्बद्धता समिति/मान्यता समिति

दिनांक 08-12-2016
स्थान- कुलपति कार्यालय

1- प्रो० यदुनाथ दुबे, कुलपति	अध्यक्ष
2- प्रो० हर प्रसाद दीक्षित	सदस्य
3- शिक्षा निदेशक	सदस्य
4- निदेश उच्चत्तर शिक्षा	सदस्य
5- कुलसचिव	सचिव

सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08-12-2016 में विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले महाविद्यालय।

4- निरीक्षण मण्डल की संस्तुतियों पर विचार।

1- श्री संत वामनभाऊ संस्कृत महाविद्यालय, गहिनीनाथगड, मु.पो. चिंचोली (नाथ) ता. पाटोदा, जिला बीड (महाराष्ट्र)

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 22-24 अगस्त 2016को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 500×400 कक्ष 12 निर्मित 400 फुट से अधिक हाल 2 आकार 1500 से अधिक है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को प्रथमा, पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा एवं शास्त्री साहित्य,व्याकरण विषय में सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

2- राधाकृष्ण बलभद्र संस्कृत महाविद्यालय पूरे सरवरियन, पारी, सलोन रायबरेली

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 20-09-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.278हेक्टेयर, कक्ष 4निर्मित 20×25, हाल- 108×10, क्रीड़ाप्रांगड 0.178हे0 है। पुस्तकालय उपलब्ध है। तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य विषय में सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

08.12.2016 8.12.16 8.12.16

3 – **माँ शीतला कुमार संस्कृत महाविद्यालय, सहमलपुर सिधोरा, वाराणसी**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने .संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 14-10-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 84 डिसिमील वर्गमीटर, कक्ष 06 निर्मित 18×12, एवं 3 कक्ष निर्माणाधीन, पुस्तकालय उपलब्ध है। । अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य विषय में सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

4 – **श्री रामलखन गिरी संस्कृत महाविद्यालय, रामचन्दीपुर, चौबेपुर वाराणसी**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 08-09-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1.3720हेक्टेयर, कक्ष 08- 18×20, हाल 1- 20×22, क्रीड़ाप्रांगड 500वर्गफीट है।प्रयोगशाला कक्ष 01-20×22 पुस्तकालय उपलब्ध है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **शासनादेशानुसार जीवित व्यक्ति के नाम से विद्यालय की व्यवस्था मान्य नहीं है। यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो साक्ष्य के साथ अभिलेखादि शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करें।**

5 – **श्री रमाकान्त त्रिपाठी बालिका संस्कृत महाविद्यालय हुलासगढ़ ढिगवस, प्रतापगढ़।**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 17-08-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.809 हेक्टेयर/0.1.1 हेक्टेयर, कक्ष 04, निर्मित 4.50×3.00, 6.10×6.05, 2 कक्ष 6.15×6.05मीटर पुस्तकालय उपलब्ध है। तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **शासनादेशानुसार जीवित व्यक्ति के नाम से विद्यालय की व्यवस्था मान्य नहीं है। यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो साक्ष्य के साथ अभिलेखादि शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करें।**

6 – **श्री रामबरन सिंह शिक्षण संस्थान चोरहा बरईपार जौनपुर**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 27-08-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 2500 वर्गमीटर, कक्ष 14, 21×25, 01 हाल- 21×26,15×16 तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **शासनादेशानुसार जीवित व्यक्ति के नाम से विद्यालय की व्यवस्था मान्य नहीं है। यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो साक्ष्य के साथ अभिलेखादि शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करें।**

7 – **श्री केदार नाथ राममूर्ति मिश्रा संस्कृत महाविद्यालय, इन्द्रानगर सिकरी कानूपुर प्रतापगढ़।**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 30-07-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम

भूमि एक एकड़, कक्ष 8, 05 कक्ष 6×8 मीटर, 02 कक्ष 5×7 1 कक्ष 3×5 निर्माणाधीन पुस्तकालय उपलब्ध है। तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **शासनादेशानुसार जीवित व्यक्ति के नाम से विद्यालय की व्यवस्था मान्य नहीं है। यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो साक्ष्य के साथ अभिलेखादि शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करें।**

8 – **कृष्णावती संस्कृत महाविद्यालय, ओरवा रानेपुर सकलडीहा चन्दौलीं।**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 21-09-2016 को गृहविज्ञान प्रयोगशाला का स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के पास गृहविज्ञान प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण जैसे सिलाई मशीन एवं कटिंक की सामग्री, फ्रिज,भोजन बनाने की सामग्री, गैस सिलेण्डर, कूकर, बर्तन तथा बैठन की ब्यवस्था समुचित रुप में उपलब्ध है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **शासनादेशानुसार जीवित व्यक्ति के नाम से विद्यालय की व्यवस्था मान्य नहीं है। यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो साक्ष्य के साथ अभिलेखादि शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करें।**

9 – **श्री दुर्गा संस्कृत महाविद्यालय अमारी अमरहट मऊ।**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 27-07-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि आचार्य /शास्त्री हेतु 03शिक्षण कक्ष 20×23, 03कक्ष 25×26,01कक्ष 15×26,04 कक्ष 20×15, कार्यालय 26×12 प्राचार्य कक्ष 10×10, पुस्तकालय 15×12 प्रयोगशाला 15×20 एवं क्रीड़ा प्रांगड 34500 वर्गफूट है। तथा मध्यमा की कक्षाओं के संचालन हेतु 06 शिक्षण कक्ष 25×20 (प्रत्येक) प्रधानाचार्य कक्ष 10×8 कार्यालय,पुस्तकालय वाथरुम आदि सभी व्यवस्थित हैं। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **शासनादेशानुसार जीवित व्यक्ति के नाम से विद्यालय की व्यवस्था मान्य नहीं है। यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो साक्ष्य के साथ अभिलेखादि शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करें।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार।

10 – **श्री वीर राघव भागवत संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद को व्याकरण, पुराणेतिहास, साहित्य विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।**
संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति इस निर्णय पर पहुची की श्री वीर राघव संस्कृत महाविद्यालय विहार कुंज अयोध्या फैजाबाद को शास्त्री व्याकरण,पुराणेतिहास,साहित्य विषय की सम्बद्धता सम्बन्धी विचाराधीन प्रकरण में पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित महाविद्यालय के भूमि, भवन आदि के सम्बन्ध में पुष्ट एवं प्रमाणिक अभिलेख प्राप्त किया जाय अन्यथा की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसा

सम्बद्धता समिति/मान्यता समिति

दिनांक 13-05-2017
समय-01:00
स्थान- कुलपति कार्यालय

1-	प्रो0 यदुनाथ दुबे, कुलपति	अध्यक्ष
2-	प्रो0 हर प्रसाद दीक्षित	सदस्य
3-	शिक्षा निदेशक	सदस्य
4-	निदेशक उच्चत्तर शिक्षा	सदस्य
5-	कुलसचिव	सचिव

सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 13-05-2017 में विचारार्थ प्रस्तुत होने वाले महाविद्यालय।

1-निरीक्षण मण्डल की संस्तुतियों पर विचार।

1- पं० राममूर्ति द्विवेदी संस्कृत महाविद्यालय, मुगारी, करछना, इलाहाबाद।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 21-09-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.6584 हेक्टेयर, 13 कक्ष 15×13 फुट 5, 13×12 3 कक्ष 14×12, 25×35 1कक्ष 18×15 1कक्ष, 35×12 1कक्ष, 14×15 1 कक्ष, बारामदा 4 है खेल का मैदान एवं पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध है। निरीक्षण मण्डल द्वारा यह पाया गया कि भवन आवासीय है। महाविद्यालय स्वरूप के अनुरूप नही है। प्रबन्ध समिति में परस्पर सगे सम्बन्धी है। अतः मान्यता देने योग्य नही है के परिप्रेक्ष्य में समिति निरीक्षण मण्डल की स्वीकृति स्वीकार करती है।

2-ठाकुर राममूर्ति सिंह संस्कृत महाविद्यालय, बरौली बदलापुर, जौनपुर।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 15-10-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.2870 हेक्टेयर, 8 कक्ष 25×20 3 कक्ष, 27×20 2 कक्ष, 29×20 1 कक्ष, 20×20 1 कक्ष, 15×20 2 कक्ष, इसके अतिरिक्त 1 प्राचार्य कक्ष एवं कार्यालय है तथा पुस्तकालय कक्ष उललब्ध है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति संस्तुति करती है कि भूमि का प्रमाण प्रस्तुत करें।

3-चन्द्र ज्योति संस्कृत उ0मा0 महाविद्यालय, सिकठिया ब्रिज (चकरामजी) मऊ।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 25-06-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.41 हेक्टेयर, कक्ष 20, 10 कक्ष 16×10, 10 कक्ष 20×22, फूट एवं प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं क्रीडा स्थल उपलब्ध है। तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री **साहित्य, व्याकरण** की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

4-मक्कल प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय, ग्राम सिंहांव पो0 रेकवार, मऊ।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 22-04-2017 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.490 हेक्टेयर, कक्ष 08, 25×30, 2 हाल 25×45, प्रयोगशाला कक्ष 1 25×30, पुस्तकालय उपलब्ध है। तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **शास्त्री साहित्य, पुराणेतिहास तथा 'ख' वर्ग गृहविज्ञान** की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

5-गोर्खा संस्कृत विद्यापीठ, कालीपोंग, पं0 बंगाल।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 26-08-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1 एकड़, 06 कक्ष, तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **प्रथमा, पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा एवं शास्त्री साहित्य, व्याकरण** की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

6-श्रीसंत वामनभाऊ संस्कृत महाविद्यालय, गहनीनाथगड मु०पो० चिंचोली(नाथ), ता०पाटोदा, जि० बीड।

निरीक्षण मण्डल की संस्तुति व्याकरण, साहित्य, वेद ज्योतिष, वेदान्त, दर्शन, पुराणेतिहास एवं न्याय विषय की संस्तुति की गयी थी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में साहित्य एवं व्याकरण विषय की संस्तुति सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08-12-2016 द्वारा प्रदान किया जा चुका है। शेष विषयों वेद, ज्योतिष, वेदान्त, दर्शन एवं पुराणेतिहास पर विचार किया जाना है। समिति निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के प्ररिप्रेक्ष्य मे वेद, ज्योतिष, वेदान्त, दर्शन एवं पुराणेतिहास सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

7-पं0 रामाकान्त त्रिपाठी संस्कृत महाविद्यालय हुलासगंज, ढिगवस, प्रतापगढ़।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 17-08-2016 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.809 हेक्टेयर/ 0.1.1 हेक्टेयर, कक्ष 04, निर्मित 4.50×3.00, 6.10×6.05, 2 कक्ष 6.15×6.05 मीटर पुस्तकालय उपलब्ध है। तथा

सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शासनादेशानुसार जीवित व्यक्ति के नाम से विद्यालय की व्यवस्था मान्य नहीं है। यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो साक्ष्य के साथ अभिलेखादि शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया अतः समिति महाविद्यालय को साहित्य, पुराणेतिहास एवं 'ख' वर्ग गृह विज्ञान की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

8-कुलपति महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

सावित्री दयाराम पाण्डेय संस्कृत महाविद्यालय बाल शिक्षा निकेतन हनुमाननगर नारंग वेलारामपुर, पट्टी, प्रतापगढ़।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 01-05-2017 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.443 हेक्टेयर, कक्ष 12, 6×2.76 मीटर, 2.6×49 मीटर, 4.9×5 मीटर। पुस्तकालय उपलब्ध है तथा सम्बद्धता/मान्यता की अन्य मानकानुसार औपारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को **आचार्य-व्याकरण एवं साहित्य** की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

13/5/17 13.5.17 13/5/17 13/5/17 13.05.17

कार्यपरिषद् ने सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.12.2016 एवं 13.05.2017 की संस्तुतियों पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् सम्बद्धता/मान्यता समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि मान्यता समिति के निर्णयानुसार जिन नवीन महाविद्यालयों का नाम जीवित व्यक्ति के नाम से है और यदि व्यक्ति जीवित नही है तो साक्ष्य के साथ अभिलेखादि शपथ पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् उन महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार-

1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016 एवं दिनांक 23.04.2017 में दान से पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में डा॰ प्रभुनारायण दूबे, प्राचार्य सुधाकर महिला महाविद्यालय, वाराणसी के पत्र पर विचार के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से प्राप्त रिर्पोट के संदर्भ में विचार।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.09.2016 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग ने अपनी रिर्पोट में कहा कि दानदाता द्वारा प्राप्त कराये गये धन रू॰ 200000/- (रू॰ दो लाख) के ब्याज से प्रतिवर्ष उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार एक विद्वान को रू॰ 11000/- पुरस्कार प्रशस्ति पत्र/प्रमाण पत्र/स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना सम्भव नही है। अतः बौद्ध दर्शन विभाग के आचार्य प्रो॰ रमेश कुमार द्विवेदी की संस्तुति के अनुसार यह पुरस्कार प्रति वर्ष न देते हुए दो वर्ष पर प्रदान किया जाये।

कार्यपरिषद् लेखानुभाग की उपर्युक्त रिर्पोट से अवगत होते हुए निर्देश दिया कि दानदाता को लेखानुभाग के रिर्पोट से अवगत कराते हुए उनका भी मन्तव्य प्राप्त किया जाये।

कार्यपरिषद् की उपर्युक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में दानदाता ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

कार्यपरिषद् उपर्युक्त से अवगत होते हुए सर्वसम्मत्ति से 'ओम् जय शान्ति पुरस्कार' अध्यादेश-2015 के संदर्भ में प्रस्तावित अध्यादेश के बिन्दु-6 में **'प्रति वर्ष'** के स्थान पर **प्रति 'दो वर्ष'** करते हुए अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

2- श्री सद्गुरू रामसिंह जी महाराज पीठ की संचालन समिति की बैठक दिनांक 05.05.2017 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अध्यादेश संशोधन पर विचार।

अध्यक्ष की अनुमति से कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि श्री सद्गुरू रामसिंह जी महाराज पीठ की संचालन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 05.05.2017 में निर्णय लिया है कि सम्बन्धित अध्यादेश संशोधन करते हुए पीठ में नियुक्त होने वाले विद्वान का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाय। तथा इस संशोधन को कार्यपरिषद् से अनुमोदित कराया जाय।

उपर्युक्त पर विचार के क्रम में सदस्यों ने कहा कि श्री सद्गुरू रामसिंह जी महाराज पीठ की अध्यादेश के साथ प्रकरण को विचारार्थ कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। तत्पश्चात् ही प्रकरण पर विचार करना सम्भव होगा।

३- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में नियुक्तियों एवं अर्हताओं के सम्बन्ध में अवधारित उपबन्धो के अंतर्गत परिनियम में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में गठित परामर्शदातृ समिति की संस्तुति पर विचार

कुलसचिव ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयो में नियुक्तियों एवं अर्हताओं के सम्बन्ध में अवधारित उपबन्धों के अंतर्गत परिनियम में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में गठित परामर्शदातृ समिति की संस्तुति, अध्यक्ष की अनुमति से कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।

कुलसचिव की उक्त मांग पर परिषद् के सदस्य प्रो.प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि वे भी परामर्शदातृ समिति के सदस्य है और वे उस दिन मुख्यालय पर नही थे और उनकी अनुपस्थिति में समिति ने अपनी संस्तुति प्रदान की है। विश्वविद्यालय परिनियम में नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था के संदर्भ में मा. कुलाधिपति महोदय द्वारा पूर्व में एक संशोधन आदेश विश्वविद्यालय को प्राप्त है, सम्भवतः उसका संज्ञान समिति को नही कराया गया है। अतः इस पर विचार करना अभी उचित नही है।

उक्त पर विचार करते हुए कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि परामर्शदातृ समिति के समक्ष पूर्व में किये गये परिनियम संशोधन को प्रस्तुत करते हुए पुनः समिति की बैठक बुलायी जाय तत् पश्चात् समिति की संस्तुति विचारार्थ कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी

कुलसचिव जी / माननीय कुलपति
कृपया अनुमोदनार्थ

31.08.17
VC